

56

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-6/निदे०-VKY-21-05/2016-

117

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 23.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा वनवन्धु कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि यथा (i) आवासीय पिछवाड़े में मछली पालन (मलेरिया उन्मूलन एवं पिछवाड़े में समेकित मछली पालन) हेतु ₹130.00 लाख, (ii) संपूर्ण विद्युतीकरण हेतु ₹60.00 लाख, (iii) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गांवों के लिए सिंचाई सुविधा का परिवर्धन/सिंचाई की सहायता हेतु नलकुप (सरकारी नलकुप) के लिए ₹60.00 लाख अर्थात् कुल ₹250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) मात्र व्यय हेतु आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

प्रसंग: जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 203 दिनांक 16.03.2017 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-270 दिनांक-20.03.2017।

आदेश: स्वीकृत।

2- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या- 82 दिनांक 25.01.2017 एवं आवंटनादेश संख्या- 103 दिनांक 16.02.2017 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 3748 वि०(2) दिनांक 05.04.2010 के आलोक में प्रदान की जाती है।

3- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में राशि की निकासी की जाएगी।

4- निकासी की जाने वाली स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अधीन है।

5- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।


6- सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

7- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, सभी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

8- उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

9- सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित डी०सी० विपत्र महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

55

-2-

ज्ञापांक -6/निदे0-VKY-21-05/2016- 117

पटना, दिनांक- 23.03.17

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदे0-VKY-21-05/2016- 117

पटना, दिनांक- 23.03.17

प्रतिलिपि :-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/ सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0)/8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव। 23.3.17